न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राकेश कुमार बनाम दीनदयाल वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 352/2025 (अजमेर)

	श्री एन0एस0 राजावत मृणाल शर्मा 2, 3 हरिसिंह गुर्जर 04 रेस्पो0 संख्या 01 अनुपस्थित	
19.05.2025	राकेश बनाम दीनदयाल वगैरह (2022/352) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 09.06.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
09.06.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 19.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियमं पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/2019 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 69/2019 के तहत अपीलांट/प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1191 में से 01–01–17 बीघा भूमी जरयि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2012 द्वारा मूल खातेदार श्री विरेन्द्रसिंह राठौड से क्रय की जाकर स्वामित्व व आधिपत्य विद्यमान होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में होना मानकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.12.2019 पारित करते हुए बेचान, अतिक्रमण, अतिचार, व्यवधान दखल नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को पाबंद किया गया, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलांट अपने क्रय शुदा भूमि की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने का अधिकारी रहा है, परन्तु विद्वान सहायक कलक्टर (मु) अजमेर द्वारा प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का होना स्वीकार किये जाने के बावजूद आदेश दिनांक 08.08.2022 के तहत स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर विधि एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित किये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर संशोधित एवं परिवर्तित किये जाने योग्य है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 1191 में से 01–01–17 बीघा भूमि प्रार्थी/अपीलांट के क्रय शुदा स्वामित्व व आधिपत्य की होना मानकर आपसी सहमति से राजीनामा निष्पादित कर राजीनामे के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना के तहत राजीनामें के आधार पर पूर्व राजस्व वाद संख्या 85/2019 एवं अस्थायी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राकेश कुमार बनाम दीनदयाल वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 352/2025 (अजमेर)

श्री N.S राजावत PS. — श्री मृणाल शर्मा, R.3, — श्री हरिसिंह गुर्जर – 4 R-1

लगातार-.

निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 69/2019 को निर्णित करवाया गया, ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु विद्यमान होने से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने का अधिकारी रहा है, परन्तु विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर द्वारा प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का स्वीकार किये जाने के बावजूद आदेश दिनांक 08.08.2022 के तहत स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर विधि एवं क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की है।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 में हस्तक्षेप कर संसोधित एवं परिवर्तित किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट की क्रय शुदा भूमि की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किये जाने के आदेश पारित करावें, एवं अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय अपील की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में दिलाये जाने के आदेश भी पारित करावे, जो न्याय संगत होगा।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब अपील निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायलाय में संधारण योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2022 में प्रकरण में मात्र नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष दिनांक 21.09.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था, जिसे दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तत्पश्चात प्रकरण में नियमित रूप से तारीख पेशीयां दी जाती रही। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 24.05.2022 को श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा आवंटित नवीन क्षेत्राधिकार से उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को स्थानान्तरित किया गया एवं नियमित रूप से तारीख पेशी दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब भी पेश किया जा चुका है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर, को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner